# डॉ. अंबेडकर के शिक्षा संबंधी विचारों का अनुसूचित जाति के सामाजिक–आर्थिक जीवन पर प्रभाव

## (धार जिले के अनुसूचित जाति के सर्वेक्षित परिवारों के आधार पर)

**सोलंकी, ज्योति[1] एवं नाईक, प्रो. सी.डी.[2]**

[1]शोधार्थी, पी.एच.डी., समाजशास्त्र, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, महू, इंदौर, मध्यप्रदेश, भारत

[2]रिसर्च सुपरवाईजर, (विभागाध्यक्ष) डॉ. आम्बेड़कर विचार एवं दर्शन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, महू, इंदौर, मध्यप्रदेश, भारत

**सारांश**

दलितों का जीवन जहां उत्पीड़न तथा शोषण दमन से भरा हुआ है वहीं सामाजिक व्यवस्था के नाम पर लादी गई अनेक मर्यादाएं, बंधन एवं अनेक तरह के दवाब बरकरार हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं ने दलितों का जीवन एक तरह से नर्क बना दिया है। ग्रामीण परिवेश के जातिय उत्पीड़न के बाद शहरों में पलायन करना, नगरों की ओर दलितों का आना किसी समस्या का समाधान नहीं है। धार जिले के अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर डॉ. अंबेडकर के विचार का प्रभाव किस तरह का हैं, यहां बताया गया है।

**शब्दकुंजी**–डॉ. अंबेडकर, शिक्षा, अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन

डॉ. भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत में समानता स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे सिद्धान्तों पर चिन्तन करने वाले अग्रणी विद्वानों में से एक थे। उन्होंने अछूतो, दलितों, पिछड़ों, शोषितों की शिक्षा कल्याण तथा उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। स्वतंत्र भारत के भविष्य को संवारने के लिए भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में उनका अतुल्य योगदान रहा।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का समय वर्ण विभाजित हिन्दू समाज में शूद्र कहे जाने वाले वर्ण के प्रति सामाजिक घृणा भाव का था। शूद्रों को अछूत कहा जाता था और उनके दुःखों की तुलना डॉ. अम्बेडकर ने यहूदियों के दुःखों से करते हुए उन्होंने कहा था–''जिन दुःखों से अछूत पीड़ित है, यद्यपि उनका इतना प्रचार नहीं हुआ है, जितना की यहूदियों के दुःखों का, तो भी किसी तरह वे दुःख कम नहीं है। न ही दमन के वे तरीके उन तरीकों से कम भयंकर है, जिनका प्रयोग नाजियों ने यहूदियों के विरूद्ध किया था। यहूदियों के खिलाफ नाजियों का एन्टी–सीमेटिज्म, विचार और प्रभाव में अछूतों के विरुद्ध हिन्दूओं के सनातन से किसी भी तरह भिन्न नहीं है।''[1]

## अध्ययन के उद्देश्य

धार जिले के अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक–आर्थिक जीवन पर डॉ. अंबेडकर के विचारों के प्रभाव का अध्ययन करना है।

## अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र में मध्यप्रदेश के धार जिले का चयन किया गया है। धार जिले की अनुसूचित जाति के 400 परिवारों को सर्वे किया गया है।

## निर्देशन प्रक्रिया

प्रस्तुत अध्ययन में धार जिले के 400 परिवारों को चयन किया गया है। इन परिवारों का सर्वे किया गया है। जिसमें प्राप्त आंकडों को विश्लेषण किया गया है। साथ ही डॉ. अंबेडकर द्वारा लिखी पुस्तकों या उनके ऊपर लिखी पुस्तकों का अध्ययन कर उनके सहयोग से अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक–आर्थिक जीवन पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति वर्ग की शिक्षा की स्थिति का अध्ययन अनेक स्तरों पर किया गया है।

धार जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या अधिक है। उसके बावजूद भी इन जातियों का जीवन स्तर बहुत सामान्य है। अनेक समस्याओं का सामना इनको दिन प्रतिदिन करना पड़ता है। आर्थिक रुप से दलित सर्वाधिक शोषित है। सर्वाधिक गरीब है एवं सामाजिक रुप से वह बहुत पिछड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सही मायने में यदि श्रमिक वर्ग कोई है तो वह दलित वर्ग है। ''भारतीय सामजिक–आर्थिक संरचना में दलित आज भी विभिन्न रूपों में सबसे ज्यादा शोषित, प्रताडित और अपमानित हैं। वर्ण–व्यवस्था के कारण ही दलितों को आर्थिक दासता विरासत के रूप में मिली है। वे सदियों से उसे ढ़ोते आ रहे हैं और आज भी किसी न किसी रूप में झेल रहे हैं। आज के अधिकांश दलित जातिगत विपन्नता के समान आर्थिक विषमता के भी शिकार हैं। दलित आन्दोलनों के बढ़ते प्रभाव के परिणामस्वरूप संविधान में दलितों के लिए शिक्षा, रोजगार आदि मुहैय्या करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई जिससे दलितों की स्थिति में भी काफी सुधार आया है। हालाँकि यह अभी भी कई मायनों में नाकाफी है।''[2]

**सामाजिक–आर्थिक जीवन पर प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण**

| सामाजिक–आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव | उत्तरदाता | प्रतिशत |
|---|---|---|
| जागरुकता बढी है | 97 | 24.25 |
| सम्मान के लिए लडते हैं | 80 | 20.0 |
| रोजगार के लिए समझदारी बढी है | 90 | 22.5 |
| मजदूरी दर पूरी लेते हैं | 58 | 14.5 |
| अन्य | 75 | 18.75 |
| कुल | 400 | 100.0 |

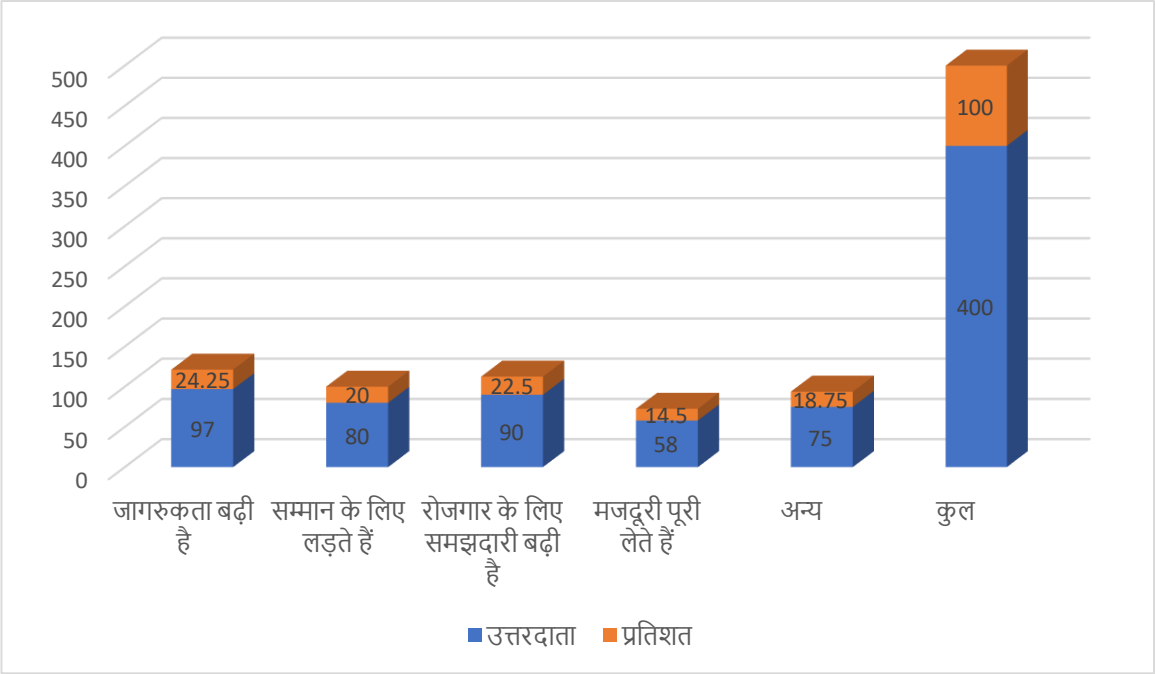


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि डॉ. अम्बेडकर के विचारो का अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में बहुत प्रभाव पडा है। संकलित प्राथमिक संमकों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वेक्षित उत्तरदाताओं का कहना है कि जागरूकता बढी है तथा इनका सर्वाधिक 24.25 प्रतिशत है। 'रोजगार के लिए समझदारी बढी है' यह कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 22.5 प्रतिशत है। 'सम्मान के लिए लडते हैं' यह कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 20.0 प्रतिशत है। 'अन्य' यह कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या का 18.75 प्रतिशत है एवं 'मजदूरी पूरी लेते हैं' यह कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 14.5 प्रतिशत है।

डॉ. अंबेडकर के विचारों के कारण उनकी सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही स्थिति मजबूत हुई है। हालांकि 30 प्रतिशत उत्तरदाता अंबेडकर के कार्यों के बारे में बहुत नहीं जानते हैं। लेकिन बावजूद इसके वे यह जानते हैं कि अंबेडकर ने उनके लिए बड़े काम किए हैं। अनुसूचित जाति के लिए अंबेडकर के द्वारा किए गए कार्यों एवं उनके विचारों के प्रभाव के कारण ही ये लोग अपने आप को कुछ ऊपर उठा पाए हैं। विशेष रुप से नई पीढ़ी ने अंबेडकर के विचारों को जिस तरह से प्रचारित प्रसारित किया है, उससे अनुसूचित जाति

के लोगों में जबरदस्त चेतना आई है। क्योंकि शिक्षा का अभाव होने के कारण पुरानी पीढ़ी के लोग अंबेडकर के विचारों को इतना नहीं जान पाए थे जितना की नई पीढ़ी जान पाई है। लेकिन पुरानी पीढ़ी यह जरुर जानती है कि अंबेडकर ने जिस तरह से अनुसूचित जाति के लिए काम किया है, वह अपने आप में बहुत बड़ा काम है।

**उत्तरदाताओं का शिक्षा के स्तर पर वर्गीकरण**

| शिक्षा का स्तर | उत्तरदाता | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हाई स्कूल | 97 | 24.25 |
| हायर सकेण्डरी | 80 | 20.0 |
| ग्रेजुएट | 75 | 18.75 |
| स्नातकोत्तर | 90 | 22.5 |
| अशिक्षित | 58 | 14.5 |
| कुल | 400 | 100.0 |

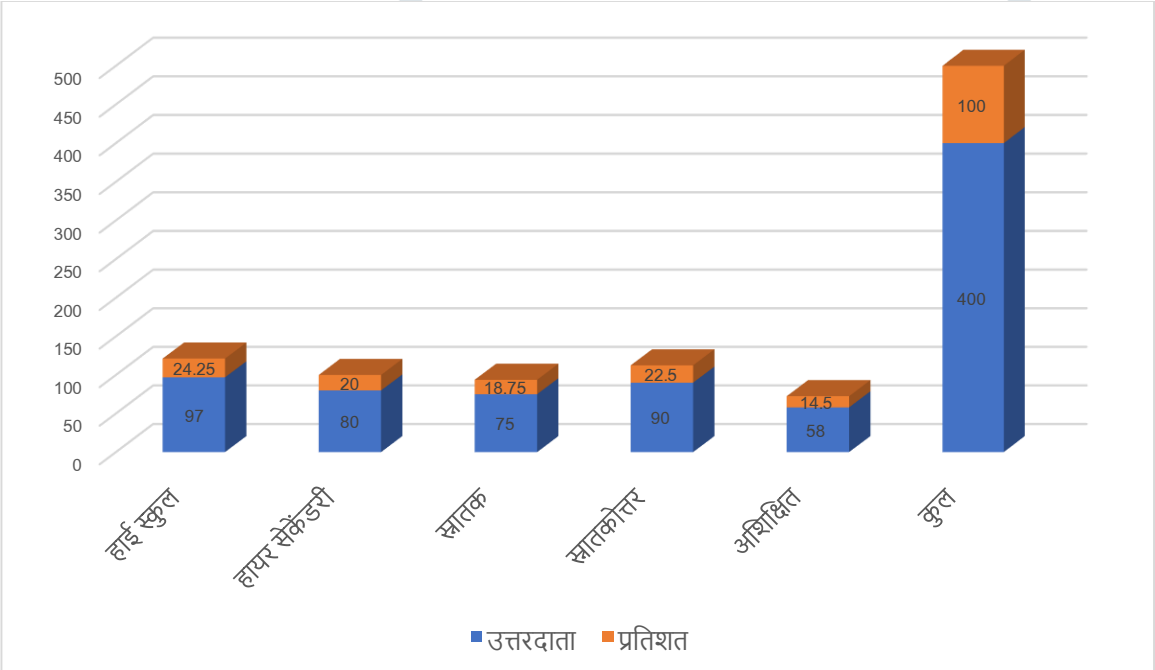


शिक्षा के आधार पर यदि उत्तरदाताओं का विश्लेषण किया जाए तो कुल 400 उत्तरदाताओं में से 97 हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त कर पाएं हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा 80 ने प्राप्त की है। ग्रेजुएशन 75 एवं पोस्ट ग्रेजुएट 90 तथा 58 ने शिक्षा प्राप्त ही नहीं की। शिक्षा का स्तर दूसरी जातियों की तुलना में अनुसूचित जाति में अभी भी बहुत कम है। यह निश्चित रुप से अपने आप में बड़ी और चिंताजनक समस्या है। जबकि शिक्षा के प्रति विशेष रुप से डॉ. भीमराव अंबेडकर ने बहुत अधिक जोर दिया था। अंबेडकर कहते थे जब तक विशेष रुप से अनुसूचित जाति के लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक इन लोगों का उद्धार, इन लोगों का विकास संभव नहीं है। अंबेडकर अनुसूचित जाति की शिक्षा के ही बारे में ही नहीं सोचते थे बल्कि वे सब के बारे में सोचते थे। लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों में शिक्षा की स्थिति पर विशेष जोर देते थे।

शिक्षा के कारण ही अनुसूचित जाति में आज थोडा बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। इस परिवर्तन के परिणाम हैं कि दलित वर्ग धीरे–धीरे शिक्षित होकर, जागरुक होकर अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुआ है। उच्च पदों पर भी आसीन हुआ है। अपना पारिवारिक एवं पैतृक काम छोड़कर के दूसरे काम करने लगा है। इसमें डॉ. अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। ''अनुसूचित जातियों में शिक्षा का प्रसार के लिए सन् 1991 से गन्दे व्यवसायों में लगी अनुसूचित जातियों के सामान्य बच्चों को विशेष छात्रवृत्तियाँ दी जाती है। यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से पाँच तक 25 रुपया मासिक, कक्षा 6 से 8 तक 40 रुपया कक्षा 9–10 में 60 रुपये मासिक दर से दी जाती है। मैट्रिक से आगे अध्ययन करने वाले अनुसूचित जातियों के योग्य विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गयी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में ऐसी छात्रवृत्तियों की संख्या 37. 07 हजार थी जबकि आज यह संख्या बढ़कर लगभग 98 लाख से भी अधिक हो चुकी है। प्रथम योजना में इस पर होने वाला व्यय 1.58 करोड़ रुपया था जबकि केवल वर्ष 2010–2011 के एक वर्ष में इस मद पर 358.53 करोड़ रुपया व्यय किया गया तथा वर्ष 2011–12 में 393 करोड़ के बजट का प्रावधान है।''[3] धार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति का यह तबका अभी भी शिक्षा से दूर है। हालांकि पहले की तुलना में कुछ परिवर्तन जरूर है लेकिन उतना नहीं जितना की होना चाहिए। लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों को जब शिक्षित हुए तो बड़े–बड़े काम भी करने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति भी धीरे–धीरे मजबूत होने लगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने तथा शिक्षा प्राप्त करने के कारण उनमें एक जागरुकता आई है। इसमें निश्चित रुप से अंबेडकर का योगदान बहुत अधिक है।

संगम वर्मा अंबेडकर की चिंता को यहां व्यक्त करते हुए कहते हैं–''दलित वर्ग की शिक्षा के बारे में अम्बेडकर का मत था कि दलितों के अत्याचार तथा उत्पीड़न सहन करने तथा वर्तमान परिस्थितियों को सन्तोषपूर्ण मानकर स्वीकार करने की प्रवृति का अन्त करने के लिए उनमें शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से ही उन्हें इस बात का आभास होगा कि विश्व कितना प्रगतिशील है तथा वे कितने पिछड़े हुए है । उनका मानना था कि दलितों को अन्याय, अपमान तथा दबाव को सहन करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे इस बात से दुखी थे कि दलित इस प्रकार की परिस्थितियों को बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेते हैं।''[4]

**शिक्षा ग्रहण नहीं करने के कारणों के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण**

| शिक्षा ग्रहण क्यों नही की | उत्तरदाता | प्रतिशत |
|---|---|---|
| धन की कमी | 94 | 23.5 |
| शिक्षा में अरूची | 71 | 17.75 |
| शिक्षण संस्थान की अनुपलब्धता | 104 | 26.0 |
| सामाजिक अवरोध | 131 | 32.75 |
| कुल | 400 | 100 |

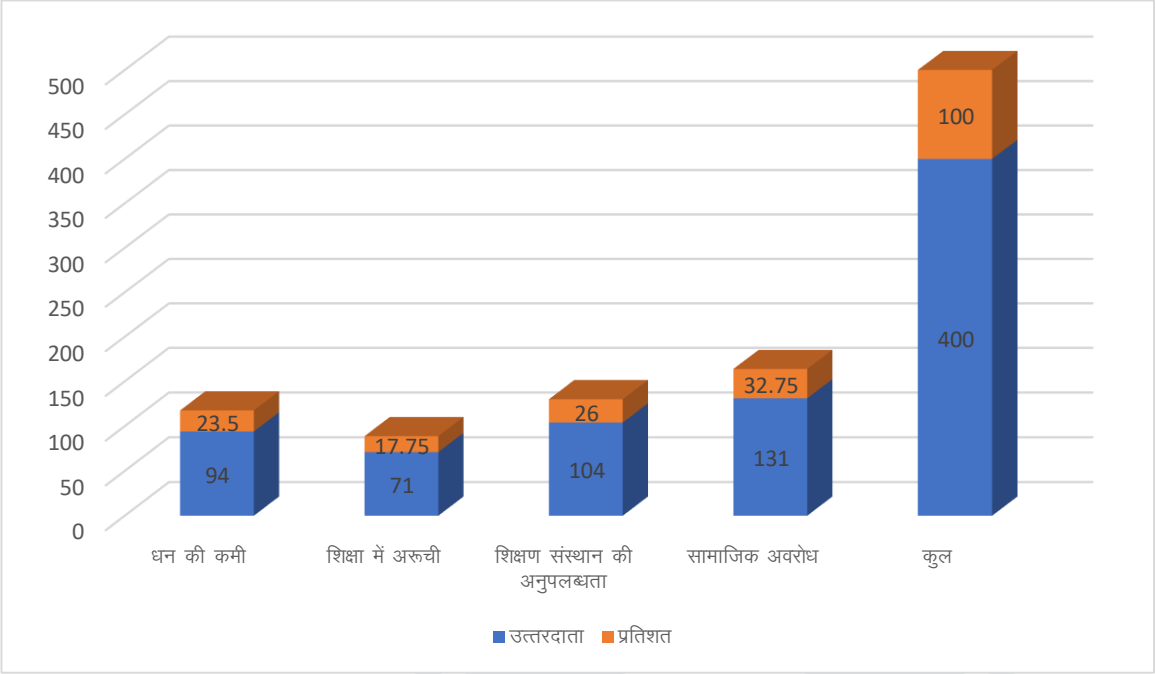


शिक्षा ग्रहण नहीं करने का आधार क्या रहा, उसके पीछे क्या कारण रहे। जब यह सवाल उनसे पूछा गया तो अधिकतर लोगों का जवाब धन की कमी रहा। कुछ लोगों ने शिक्षा में अरुचि को भी बताया। इससे पता चलता है कि आज भी दलित वर्ग को अर्थात अनुसूचित जाति को शिक्षा का अधिकार ठीक रुप से नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण वह शिक्षा से वंचित है। दूसरा जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों का बाहुलय है, वहां पर या तो विद्यालय नहीं है। यदि विद्यालय हैं तो उनमें अध्यापक नहीं हैं। पढाई ठीक से नहीं होती है। सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। अर्थात प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी भी देखी गई है। बहुत सारे लोग अपने पैतृक काम करने की वजह से भी शिक्षा के प्रति अभी कम रुचि ले रहे हैं। दूसरा आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण भी बहुत सारे लोग शिक्षित नहीं हो पाते। अर्थात शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे मामलों में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ अभी भी ऐसी स्थितियां हो रही हैं जिनके कारण उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति अभी भी दयनीय है। इस स्थिति के लिए वर्ण व्यवस्था, जातिगत भेदभाव जैसी व्यवस्थाएं जितनी जिम्मेदार हैं, उससे भी अधिक सरकार, समाज एवं योजना जिम्मेदार हैं। जिसके कारण अनुसूचित जाति के लोग अभी भी निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं।

## निष्कर्ष

उपरोक्त अध्याय के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि धार जिले की अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार को अनेक पहलुओं पर प्रभावित किया है। ग्रामीण जीवन की प्रमुख समस्या गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आधारभूत सुविधाऐं जैसे– सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुसूचित जाति के विकास हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सर्वे में यह बात जरूर सामने आयी की जहाँ ग्राम पंचायतें अधिक सक्रिय है, वहाँ विकास की गति अधिक है। कुछ पंचायतों पर भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रीयता जैसी बुराईयों को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा है। जिसके कारण उनसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं।

## संदर्भ सूची–

1 बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय, खंड–4, संपादक–ओमप्रकाश काश्यप, प्रकाशक–डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली–दूसरा संस्करण–2013, पृ. –109

2 पोलिटिकल फिलासफी ऑफ डॉ. अंबेडकर–डी.आर.जाटव, पृ.–54, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2001

3 शासनादेश संख्या– 310(1)/26–3–2010 समाज कल्याण/अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 13–04–2011

4 मानवता के सिंचक 'अम्बेडकर'–डॉ. संगम वर्मा, पृ.– 26, अपनी माटी ई–पत्रिका,